मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 13 मार्च, 2018 (फाल्गुन 22, शक संवत् 1939)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:01 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 14 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एवं 15) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 140 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 166 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. अध्यक्षीय घोषणा

प्रदेश के विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन सह - विक्रय

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश के विभिन्न उत्पादों से माननीय सदस्यों को अवगत कराने तथा उनके प्रचार-प्रसार हेतु बजट सत्रावधि में दिनांक 13 से 28 मार्च, 2018 तक प्रात: 10.30 से सायं 6.00 बजे तक प्रदर्शन सह विक्रय केन्द्रों का संचालन विधान सभा परिसर में संबंधित संस्थाओं द्वारा किया जायेगा. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि उक्त स्टालों पर उपलब्ध विभिन्न उत्पादों की क्रय सुविधा का लाभ लेने का कष्ट करें.

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री बाला बच्चन, सदस्य की आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा बुरहानपुर में बिना टेंडर के कार्य करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही किये जाने,

(2) श्री सूबेदार सिंह रजौधा, सदस्य की प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ न मिलने,

(3) श्री मधु भगत, सदस्य की परसवाड़ा विकासखण्ड के ग्राम ठेमा मे हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने,

(4) डॉ.राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य की जाबरा सेंट पीटर स्कूल में शिक्षकों द्वारा छात्र-छात्राओं को प्रताड़ित किये जाने,

(5) श्री सुशील कुमार तिवारी, सदस्य की चित्रकूट स्थित संस्कृत महाविद्यालय का परीक्षा केन्द्र सतना में बनाए जाने,

(6) श्री नीलांशु चतुर्वेदी, सदस्य की चित्रकूट क्षेत्र के नवनिर्मित विद्यालय पगार खुर्द में कक्षाएं प्रारम्भ किये जाने,

(7) श्री रणजीत सिंह गुणवान, सदस्य की सीहोर जिले के सिद्दीकगंज स्थित शाला भवन विहीन होने,

(8) श्री अजय सिंह, सदस्य (नेता प्रतिपक्ष) की खुले हुए बोरवेल एवं नलकूप में बच्चों की सुरक्षा के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की गाईड लाईन का पालन न किये जाने,

(9) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की मुरैना जिले की तहसील सबलगढ़ को जिला बनाए जाने,

(10) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य की जिला सागर में मांस/मछली विक्रेताओं को यथा-स्थान शिफ्ट किये जाने,

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुईं मानी गईं.

4. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख

(1) देवास जिले के खातेगांव में बोरवेल में गिरा बच्चा सुरक्षित निकाला जाना

(अ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य ने उल्लेख किया कि दिनांक 11 मार्च, 2018 को देवास जिले के खातेगांव में बोरवेल में गिरे 4 वर्षीय बालक रोशन को निकालने के लिए मुख्यमंत्री महोदय ने चिन्ता की और प्रशासनिक अमले ने मुस्तैदी से काम किया. इसके लिए देवास के कलेक्टर, एस.पी. एवं विधायक (श्री आशीष गोविन्द शर्मा), सेना के जवान, मीडिया चैनल्स धन्यवाद के पात्र हैं.

(ब) श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष ने भी उल्लेख किया कि सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाईन है कि ओपन ट्यूबवेल बंद करना चाहिए अन्यथा दुर्घटनाएं होती रहेंगी. अत: गाइडलाईंस का पालन कराया जाए.

(2) संविदा कर्मियों द्वारा हड़ताल किया जाना

श्री जितू पटवारी, सदस्य ने उल्लेख किया कि पिछले 27 दिनों से संविदा कर्मचारियों के हड़ताल पर रहने से प्रदेश के कई विभागों का काम ठप्प पड़ा है. सरकार और मुख्यमंत्री महोदय ने कई बार पंचायतें करके आश्वासन दिए हैं. यह सदन भी इसको लेकर चिंतित है कि उन परिवारों को रोजगार देकर जीवनयापन सुनिश्चित किया जाए. सरकार उनकी मांगों पर समुचित ध्यान दें.

(3) प्रदेश में महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाओं में वृद्धि होना

श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने उल्लेख किया कि भोपाल में 10 मार्च 2018 को गौतम नगर की बी.कॉम. द्वितीय वर्ष की छात्रा, आरती राय ने छेड़खानी से तंग आकर आत्महत्या कर ली. मिसरोद थाने के अंतर्गत 35 वर्षीय युवक द्वारा 7 साल की बच्ची के साथ ज्यादती की गई, एम्स की डॉक्टर के साथ लगातार छेड़खानी और इंदौर के ट्रेज़र आइलैण्ड में एक 9 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ ज्यादती के अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होने से प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित हैं. इस पर दिए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराई जाए. अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि - “आपकी बात पर विचार कर निर्णय लिया जायेगा.”

(4) आशा कार्यकर्ताओं का डिलेवरी मानदेय बढ़ाया जाना

श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य ने उल्लेख किया कि बच्चों की डिलीवरी कराने वाली आशा कार्यकर्ताओं को देय मानदेय की राशि में वृद्धि की जाए.

(5) भोपाल के गैस राहत अस्पतालों में दवाओं का उपलब्ध न होना

श्री आरिफ अकील, सदस्य ने उल्लेख किया कि भोपाल के सभी गैस राहत अस्पतालों में दवायें नहीं मिल रही हैं. इसकी समुचित व्यवस्था की जाए जिससे कि लोगों का भला हो सके.

(6) बेनगंगा नदी के उद्गम का इतिहास परिवर्तित किया जाना

श्री दिनेश राय, सदस्य ने उल्लेख किया कि जैसे मां नर्मदा और गंगा-यमुना हैं उसी प्रकार हमारे जिले की बेनगंगा नदी है, जहां पर लोगों द्वारा अस्थि कलशों का विसर्जन किया जाता है. इस से जिले के लोगों की श्रद्धा जुड़ी है, इसका उद्गम स्थल मुंडारा, सिवनी जिले में है और बालाघाट की ओर जाती है. लेकिन मध्यप्रदेश के इतिहासकारों ने उसका उद्गम छिन्दवाड़ा और प्रस्थान जबलपुर बताया है. यह घोर निन्दनीय है. इससे मेरे जिले में माहौल खराब है. इसलिए इतिहासकारों द्वारा सत्यता सामने लाई जाए.

(7) मध्यप्रदेश के थानों में चैकिंग के नाम पर अवैध वसूली की जाना

श्री के.पी. सिंह, सदस्य ने उल्लेख किया कि मध्यप्रदेश के थाना क्षेत्रों में पिछले कई वर्षों से जारी चेकिंग अब प्रतिदिन अवैध वसूली में परिवर्तित हो गई है. इससे तमाम लोग परेशान हैं, इस पर दी गई ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा कराई जाए.

(8) शिक्षकों से पोलियो की दवा न पिलवाई जाना

कुंवर सौरभ सिंह, सदस्य ने उल्लेख किया कि स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल में होने से शिक्षकों के द्वारा पोलियो की दवा पिलायी जा रही है. शासन से अनुरोध है कि ये दवा शिक्षकों द्वारा न पिलवाई जाए.

(9) विधान सभा क्षेत्र मऊगंज में हनुमना-बहरी मार्ग पर बायपास बनाया जाना

श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य ने उल्लेख किया कि विधान क्षेत्र मऊगंज में हनुमना- बहरी मार्ग अनेक क्रेशर मशीनों की मंजूरी दी गयी है जिसके कारण बड़े वाहनों के निकलने से दुर्घटनाएं होती हैं. अत: शासन से अनुरोध है कि वहां पर एक बायपास सड़क बनाई जाए.

(10) परमार समाज के देवतुल्य सम्राट राजाभोज का अपमान किया जाना

श्री मधु भगत, सदस्य ने उल्लेख किया कि अभी कुछ दिन पूर्व एक समाचार पत्र के माध्यम से दिनांक 28.2.2018 को प्रकाशित भोपाल के सरोकार परिशिष्ट में पवार क्षत्रिय, परमार समाज जिनके देवतुल्य आराध्य चक्रवर्ती सम्राट राजा भोज है उनके हाथ में झाड़ू दिखाई गई है. सरकार के स्वच्छता अभियान का हम सम्मान करते हैं लेकिन यह राजा भोज का अपमान है, नगर-निगम इसका दोषी है, इस पर चर्चा कराई जाए. अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि – “आप की बात सदन में आ गई है”.

(11) रामपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम खरवाही ग्राम पंचायत में हुई हत्या की जांच सीबीआई से कराया जाना

श्रीमती ऊषा चौधरी, सदस्य ने उल्लेख किया कि सतना जिले के रामपुर विधान सभा क्षेत्र में खरवाही ग्राम पंचायत में स्वामीदीन कुशवाह व उसके लड़के को धारा 302 के फर्जी मुकदमे जेल भेजा गया है. जिसकी हत्या हुई है कि वह जिलाबदर था, उस पर कई मुकदमे कायम थे. उस गांव से हटकर दूसरी जगह उसकी हत्या हुई. मैंने सारे प्रमाण मैंने मंत्री महोदय को दिये हैं, मैं चाहती हूं कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए और निरपराधी को मुकदमे से मुक्त किया जाये.

(12) खाद्यान्न की दुकानों को पुन: सोसाटियों को दिया जाना

श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य ने उल्लेख किया कि विधान सभा क्षेत्र नागौद में प्रभारी एसडीओ, उचेहरा द्वारा जो सोसायटियों में खाद्यान्नों की दुकानें थीं, उनको, जो प्रायवेट डीलर्स में लेन-देन करके अटैच कर दिया गया है. उन्हें पुन: उन्हीं सोसायटियों में कलेक्टर द्वारा वापस किया जाये.

(13) विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ में कुपोषित बच्चों की संख्या में वृद्धि होना

श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य ने उल्लेख किया कि विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ में कुपोषित बच्चों की संख्या बढ़कर लगभग 7,000 हो गई है. इस दिशा में सरकार द्वारा तत्काल कार्यवाही की जाए.

(14) ग्राम पंचायत बिरौना के सरपंच की फसल में आग लगाने की कोशिश की जाना

कुंवर विक्रम सिंह, सदस्य ने उल्लेख किया कि विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बिरौना के सरपंच चने की फसल कटवाकर ट्रेक्टर पर आ रहे थे. उनके विरोधी ग्रामीणों ने ट्रेक्टर रोक कर फसल में आग लगाने की कोशिश की. उन्होंने 6-7 हवाई फायर भी किए और थाने में जाकर फर्जी रिपोर्ट डाली कि सरपंच के लोग एक महिला को ले गए हैं. एस.पी. को भी बताया गया कि उनको सरपंच आदि ने गोली मारी है. इस मामले में समुचित कार्यवाही की जाए.

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री गोपाल भार्गव, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री ने –

(क) आयुक्त, नि:शक्तजन, मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17, तथा

(ख) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, म.प्र. की वार्षिक रिपोर्ट, वर्ष 2016-17, पटल पर रखे.

(2) डॉ.गौरीशंकर शेजवार, वन मंत्री, ने मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का 42 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2016-17 पटल पर रखे.

(3) श्री गौरीशंकर बिसेन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) की वैधानिक आडिट रिपोर्ट, वर्ष 2015-16 पटल पर रखी.

6. ध्यान आकर्षण

(1) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल एवं श्री ओमप्रकाश सखलेचा, सदस्यगण ने प्रदेश में व्यावसायिक पट्टों के नवीनीकरण की दर में वृद्धि किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री उमाशंकर गुप्ता, राजस्व मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(2) श्रीमती झूमा सोलंकी, सुश्री हिना लिखीराम कावरे एवं श्री अनिल फिरोजिया, सदस्यगण ने प्रदेश में कृषि यंत्रों पर सबसीडी प्राप्त करने हेतु ऑन लाईन पंजीयन प्रक्रिया दोषपूर्ण होने से उत्पन्न स्थिति की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने वक्तव्य दिया.

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री लखन पटेल (जिला-दमोह)

(2) श्री हर्ष यादव (जिला-सागर)

(3) श्री शैलेन्द्र पटेल (जिला-सीहोर)

(4) पं. रमाकान्त तिवारी (जिला-रीवा)

(5) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)

(6) श्री गोविन्द सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)

(7) श्री कुंवरजी कोठार (जिला-राजगढ़)

(8) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-श्योपुर)

(9) कुंवर सौरभ सिंह (जिला-कटनी)

(10) श्रीमती ममता मीना (जिला-गुना)

(11) डॉ. गोविन्द सिंह (जिला-भिण्ड)

(12) श्री आर.डी. प्रजापति (जिला-छतरपुर)

(13) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)

(14) श्री कालुसिंह ठाकुर (जिला-धार)

(15) श्री रामनिवास रावत (जिला-श्योपुर)

(16) श्री सुशील कुमार तिवारी (जिला-जबलपुर)

(17) श्री जितेन्द्र गेहलोत (जिला-रतलाम)

(18) श्री मथुरालाल (जिला-रतलाम)

(19) श्रीमती उमादेवी खटीक (जिला-दमोह)

(20) श्री मानवेन्द्र सिंह (जिला-छतरपुर)

(21) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)

(22) श्री कैलाश चावला (जिला-नीमच)

(23) श्री मधु भगत (जिला-बालाघाट)

(24) श्री आशीष गोविन्द शर्मा (जिला-देवास)

(25) श्रीमती झूमा सोलंकी (जिला-खरगोन)

(26) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)

(27) श्री गिरीश भंडारी (जिला-राजगढ़)

(28) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-रतलाम)

(29) श्री के.के. श्रीवास्तव (जिला-टीकमगढ़)

(30) कुं. हजारीलाल दांगी (जिला-राजगढ़)

(31) श्री संजय उइके (जिला-बालाघाट)

(32) श्री शैलेन्द्र जैन (जिला-सागर)

(33) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया (जिला-मुरैना)

(34) श्री दीवान सिंह पटेल (जिला-बड़वानी)

(35) श्री अमर सिंह यादव (जिला-राजगढ़)

(36) श्री नीलांशु चतुर्वेदी (जिला-सतना)

(37) श्री नथनशाह कवरेती (जिला-छिन्दवाड़ा)

(38) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार (जिला-मुरैना)

(39) श्री सुन्दरलाल तिवारी (जिला-रीवा)

(40) श्री नारायण सिंह पँवार (जिला-राजगढ़)

(41) श्री गोवर्धन उपाध्याय (जिला-विदिशा

8. वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों पर मतदान

(1) श्री लाल सिंह आर्य, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 1	सामान्य प्रशासन के लिए पांच सौ चार करोड़, एक लाख, पचास हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए छियासी करोड़, नब्बे लाख, बाईस हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 65	विमानन के लिए पैंतीस करोड़, छप्पन लाख, तेरह हजार रुपये, तथा
अनुदान संख्या – 72	आनंद के लिए आठ करोड़, पचास लाख रुपये तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री कमलेश्वर पटेल

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

9. अध्यक्षीय घोषणा
भोजनावकाश न होना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन सदन की सहमति से सूचित किया गया कि आज भोजनावकाश नहीं होगा. भोजन की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.

10. वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(2) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया
(3) श्री रामनिवास रावत
(4) श्री शंकरलाल तिवारी

सभापति महोदय (श्री ओमप्रकाश सखलेचा) पीठासीन हुए.

(5) सुश्री हिना लिखीराम कावरे
(6) श्री मानवेन्द्र सिंह
(7) डॉ. गोविन्द सिंह
(8) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल
(9) श्री बहादुर सिंह चौहान
(10) श्री वेल सिंह भूरिया
(11) श्रीमती शीला त्यागी

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(12) श्रीमती उषा चौधरी

श्री लाल सिंह आर्य, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(2) श्री जयंत मलैया, वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 6	वित्त के लिए तेरह हजार छह सौ छियासी करोड़, सत्रह लाख, छत्तीस हजार रुपये, तथा
अनुदान संख्या – 7	वाणिज्यिक कर के लिए दो हजार सात सौ तैंतीस करोड़, पैंसठ लाख, चार हजार रुपये तक की राशि दी जाए.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए. अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ होगी. पूर्व परम्परानुसार वित्त विभाग से संबंधित मांग संख्या 6 पर चर्चा नहीं की जाएगी. तद्नुसार वाणिज्यिक कर विभाग की मांग संख्या 7 पर निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री जितू पटवारी
(2) श्री ओमप्रकाश सखलेचा
(3) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय
(4) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया
(5) डॉ. गोविन्द सिंह
(6) श्री बहादुर सिंह चौहान
(7) श्री हरदीप सिंह डंग
(8) श्री सुन्दरलाल तिवारी
(9) श्री दिलीप सिंह परिहार

श्री जयंत मलैया, वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(3) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 30	ग्रामीण विकास के लिए चार हजार सैंतीस करोड़, छिहत्तर लाख, बयालीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 34	सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण के लिए छह सौ छियालीस करोड़, पैंसठ हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए इक्तीस हजार चौरासी करोड़, तेईस लाख, अस्सी हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 59	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए पांच सौ करोड़ रुपये, तथा
अनुदान संख्या – 62	पंचायत के लिए एक सौ छियानवे करोड़, अड़तालीस लाख, तेरह हजार रुपये तक की राशि दी जाए.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री रजनीश हरवंश सिंह

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

(2) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल

(3) श्री हरदीप सिंह डंग
(4) श्री गोविन्द सिंह पटेल
(5) श्रीमती झूमा सोलंकी
(6) श्री सुबेदार सिंह रजौधा
(7) श्री यादवेन्द्र सिंह
(चर्चा जारी)

अपराह्न 6.33 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 14 मार्च, 2018 (23 फाल्गुन, शक सम्वत् 1939) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 13 मार्च, 2018